कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय् उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस बी सिविल रिट संख्या–19286/2017 श्री चन्द्रप्रकाश सोहू बनाम सरकार में प्रदत्त निर्णय दिनांक 13.11.2017 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक ::शिविरा–मा/ संस्था/बी–2/अपील–3204/चन्द्रप्रकाश सोहू/2016 दिनांक 25.01.2018 के द्वितीय पैरा में अंकित श्री चन्द्रप्रकाश सोहू के आगामी माह के वेतन में से विशेष हर्जे की राशि 5000/– की कटौती कर राजकोष में सुसंगत मद में जमा करवाने सम्बन्धी टिप्पणी को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

श्री चन्द्र प्रकाश सोहू के वेतन में से अब किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जानी है। इसके अतिरिक्त उक्त विभागीय आदेश दिनांक 25..01.2018 द्वारा श्री चन्द्रप्रकाश सोहू प्रधानाचार्य का विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के मद्देनजर पदस्थापन **राजकीय आदर्श उमावि0 बडगांव–रानीवाडा जिला जालोर** किया गया था, जिसमें इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देयता का अंकन नहीं किया गया था । अतः श्री सोहू को **नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होने का भी आंशिक संशोधन जारी किया जाता हैं।**

(नथमल डिडेल)
आई ए एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमाक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/अपील–3204/चन्द्रप्रकाश सोहू /2017/ दिनांक – 01.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है :–

01 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
02 सम्बन्धित सयुंक्त–निदेशक स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
03 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
04 सम्बन्धित ब्लाक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक–रानीवाडा, जालोर।
05 सिस्टम एनालिस्ट, कम्पयूटर अनुभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ ।
07 रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका हेतु।

संयुक्त निदेशक–कार्मिक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर